

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी- विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 134/2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. राकेश आत्मज लालूराम ब्राह्मण निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2. विष्णु आत्मज लालूराम ब्राह्मण निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3. पिन्दू आत्मज लालूराम ब्राह्मण निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4. संजू आत्मज लालूराम ब्राह्मण निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्यामलाल आत्मज भंवरलाल शर्मा निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2. लादूलाल आत्मज मांगीलाल शर्मा निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3. बालूराम आत्मज हीरालाल ब्राह्मण निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4. रघूनाथ आत्मज सूरजमल ब्राह्मण निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
5. श्रीमती कंकू पत्नि सवाईराम ब्राह्मण निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
6. श्रीमती केशर पुत्री माधवलाल ब्राह्मण निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
7. श्रीमती कस्तुरी पुत्री माधवलाल ब्राह्मण निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
8. श्रीमती कुसुमी पत्नि चम्पालाल ब्राह्मण निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
9. कोमल पुत्री सवाईराम ब्राह्मण नाबालिग वविलायत माता श्रीमती कंकू पत्नि सवाईराम ब्राह्मण निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
10. पन्नालाल आत्मज नाथूलाल ब्राह्मण निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
11. मदनलाल आत्मज नाथूलाल ब्राह्मण निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
12. मोहनलाल आत्मज नाथूलाल ब्राह्मण निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
13. स्तनलाल आत्मज चम्पालाल ब्राह्मण निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
14. रवि कुमार आत्मज सवाईराम ब्राह्मण नाबालिग वविलायत माता श्रीमती कंकू पत्नि सवाईराम ब्राह्मण निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
15. राजू आत्मज चम्पालाल ब्राह्मण निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
16. श्रीमती सज्जन बाई पुत्री नाथूलाल ब्राह्मण निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

17. सत्यनारायण आत्मज चम्पालाल ब्राह्मण निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
18. सन्ध्या पुत्री सवाईराम ब्राह्मण नाबालिग वविलायत माता श्रीमती कंकू पत्नि सवाईराम ब्राह्मण निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
19. सुन्दरलाल आत्मज चम्पालाल ब्राह्मण निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
20. सांवरमल आत्मज चम्पालाल ब्राह्मण निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
21. सोनम पुत्री सवाईराम ब्राह्मण नाबालिग वविलायत माता श्रीमती कंकू पत्नि सवाईराम ब्राह्मण निवासी ऊंचकिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

—विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीगण:- श्री यासीन खां पठान

अधिवक्ता विपक्षीगण:-.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-31.07.2020

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम ऊंचकिया पटवार हल्का ढोसर तहसील सहाड़ा के प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 220 रकबा 0.15 हे0, 233 रकबा 0.39 हे0, 234 रकबा 0.47 हे0, 236 रकबा 0.04 हे0 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 1.05 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 59 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।


प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 21 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया।

वाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उप-अधीक्षक
गंगापुर जिला मालवा

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम उंचकिया पटवार हल्का दोसर तहसील सहाड़ा के प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 220 रकबा 0.15 हे०, 233 रकबा 0.39 हे०, 234 रकबा 0.47 हे०, 230 रकबा 0.04 हे० कुल कित्ता 4 कुल रकबा 1.05 हे० भूमि राजस्व खाता संख्या 59 पर स्थित हैं। भूमियों का बरामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 500/- (पांच सौ रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 500/- (पांच सौ रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा गु० गंगापुर को तहसीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(विक्रम पंचोली)
उपसहायक अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

